

YMCA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, FARIDABAD

No.70/Acd/ Sch/2016/

Dated : 11.07.2016

**Subject : Amendments in SC scholarship details on university website.**

As per Notification of Haryana Govt., Chandigarh Terms & conditions of SC Post Matric Scholarship regarding annual income of parent/guardian has revised by The Director, SC/BC Welfare Office, Hayrana, Chandigarh from the session 2015-16. Copy of their guidelines is enclosed herewith.

So, from the session 2015-16, annual income of parent/guardian from all the sources not more than 2.50 lacs and attendance not less than 70% in each semester for reimbursement of tuition fee & other charges for SC students as per Govt. rule.

So, you are requested to kindly instruct the concerned person to change the above details on university website for information of the students and also put the misc. scholarship details as per following :-

- (a) Misc. scholarship 2012-13  
(b) Misc. scholarship 2013-14  
(c) Misc. scholarship 2014-15
- } enclosed

  
11-7-16

(Lalita Arora)  
Dealing

Dy. Registrar(Academic)



Dr. Rajeev Saha

## हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग छात्रावास विभाग, हरियाणा  
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग  
अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के ध्यानार्थ  
घर से ही भरे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग छात्रावास विभाग, हरियाणा द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन अनुसूचित जाति, विमुक्त, बुम्बन्त तथा अन्य-बुम्बन्त जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित है। अधिकांश की सभी जातियों के लिए आवेदन अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु 250 लाख रुपये, विमुक्त, बुम्बन्त तथा अन्य-बुम्बन्त जातियों के (इस बारे अलग से प्रमाणपत्र प्रकाशित करने पर) छात्रों हेतु 2.00 लाख रुपये एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 1.00 लाख रुपये से अधिक तक की राशि आवेदनित की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/बुम्बन्त तथा अन्य-बुम्बन्त जातियों में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाति की श्रेणी में शामिल नहीं है उनके भी छात्रवृत्ति पत्रों की जाहगीर।

प्राथमिक छात्रों ने विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आवेदनित करने की सी.डी.डी. 2015-16 की राशि का अंश प्राप्त किया गया है जो अन्तः-राष्ट्रीय के अन्तर्गत छात्र अपने आवेदन पत्र ऑन-लाइन (on-line) ही कर सकते हैं। छात्र हरियाणा प्रवासी सभी छात्रों जो विश्वविद्यालयों/पढाविकालयों/कक्षाओं/छात्रावासों/टीइआल संस्थानों व आरं टी आर से डिग्री/दिलोमा कर रहे हैं (संस्कृत केना संकेत) और स्वयं अनुसूचित छात्रवृत्ति के पत्र हैं वे छात्र वर्ष 2013-14 की जानकारी प्राप्त करने हेतु अधिकतम पत्र पर मेट्रो ऑन-लाइन (on-line) पर। अन्यथा (Manually) पर भरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नकरें और तुरंत ऑन-लाइन (on-line) पत्र भरें। छात्रवृत्ति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रस्तावित की जायेंगी। किसी भी मध्यम/एडवर्ड के प्रकार में जा नहीं तथा किसी को अपनी बैंक पास बुक, ए टी एम खाता नम्बर एवं प्रमाणपत्र न देना कि इनके आधार पर कोई आपके प्रमाण-पत्रों का प्रयोग कर सकता है ऐसे विचार को स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। आवेदन करते से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि पत्र में अंतिम पत्र भरने हेतु प्रमाण में परिपत्र लेने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि प्रत्येक छात्र के आवेदन पत्र में आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी। यदि कोई छात्र एक से अधिक बार अलग-अलग कालों में आवेदन करता है तो उसके विरुद्ध विभागाध्यक्ष कार्रवाई की जायेंगी।

जो छात्र अपना आवेदन पत्र भरण करते हैं वे अपने शैक्षणिक प्रमाणों की भी स्कैन करके भरण कर लें। आवेदन-पत्र भरण हेतु विभागीय पोर्टल (http://www.haryahawelfare.schemes.org/login.aspx) खोलें कर आवेदन करें। बैंक लिफ्ट देवाने का मूल्य। पत्र भरने के आवेदन पत्र भरण अपलोड करवाने में कोई कटिनाई आ रही हो तो अपने जिले में सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय संचालित सुझावों हेतु संपर्क कर सकते हैं। जहाँ से जिला बैंक स्थापित किये गये हैं। आवेदन पत्र भरण/अपलोड करने हेतु विभागीय पोर्टल/वेबसाइट दिनांक 14.10.2015 से 31.12.2015 तक चलाये जायेंगे। जिला में प्रकर अनुसूचित जाति में आप जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 0172-2707009 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

### List of District Welfare officers

Sr. No.	Name of the District	Address	Phone No.
1	Ambala	Guru Arjun Park Colony Ambala	0171-2530450
2	Bhiwani	Mini Secretariat Bhiwani	01764-242629
3	Ferozabad	Mini Secretariat Ferozabad	0129-2280172
4	Fatehabad	Mini Secretariat Fatehabad	01867-230169
5	Gurgaon	Vikas Sadan Gurgaon	0124-2305415
6	Hisar	Mini Secretariat Hisar	01662-283360
7	Jhajjar	Mini Secretariat Jhajjar	01261-254779
8	Jind	Mini Secretariat Jind	01681-289044
9	Kaithi	Panchayat Bhawan Kaithi	01746-234837
10	Karnal	Mini Secretariat Karnal	0184-2286037
11	Kurukshetra	Mini Secretariat Kurukshetra	0174-4220459
12	Mewat	Ward No. 01, Near By Pass Nara	01267-274879
13	Narnaul	Mini Secretariat Narnaul	01262-230271
14	Palwal	Agra Chowk Near U.P. Road Old Tehsil Palwal	01275-248050
15	Panchkula	House No. 33 Mahosh Nagar Panchkula	0172-2583378
16	Panipat	Mini Secretariat Panipat	0160-203000
17	Rewari	Rajesh Pillot Chowk Rewari	01274-280753
18	Rohatak	Mini Secretariat Rohatak	01262-246842
19	Sirsa	Mini Secretariat Sirsa	01666-248891
20	Sonapat	Mini Secretariat Sonapat	0130-2220733
21	Yamuna Nagar	Ram Nagar Gurgaon Pura Yamuna Nagar	01722-237459